

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 2014/वैशाख 22, 1936

No. 258]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 2014/VAISAKHA 22, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएँ विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2014

सा. का. नि. 334(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 में नियम 4 के उपनियम (1) में “पच्चीस हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपये” शब्द लिखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-11012/06/2013-बीमा-I]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव (पेंशन और बीमा)

पाद टिप्पण—मूल नियम सा.का.नि. संख्यांक 55(अ), तारीख 22, जनवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 564(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005 और सा.का.नि. संख्यांक 753(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****(INSURANCE DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2014

G.S.R. 334(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-house Development of Actuarial Capability) Rules, 2002, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special allowance for In-house Development of Actuarial Capability) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-house Development of Actuarial Capability Rules, 2002, in rule 4, in sub-rule (1) for the letters and figures “Rs. 25,000/-”, the letters and figures “Rs. 1,00,000/” shall be substituted.

[F.No. S-11012/06/2013-Ins.I]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy. (Pension & Insurance)

Foot Note:—The Principle rules were published vide G.S.R. No. 55(E) dated the 22nd January, 2002 and subsequently amended vide G.S.R. No. 564(E) dated the 5th September, 2005 and G.S.R. No. 753(E) dated the 15th October, 2009.